

मूल वाद में डिफ्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उपनाम

विजेन्द्र कुमार बनाम सुभाषचन्द्र शर्मा

दावा बाबत :- H&R.T.A.ct

मुकदमा नम्बर :- 2.17/2021

निर्णय दिनांक :- 17.12.2021

वादी की ओर से वकील सुनील चौधरी की व प्रतिवादी सं० 1. र. र. 3 की ओर से वकील विजय चौधरी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17.12.2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रक्षा भोजा 11 जेजी डब्ल्यू के खाता सं. 283/264 के मु. नं. 167 के किला नं. पता 7, पता 18, 23 ता 25, मु. नं. 178 किला नं. उता 8, मु. नं. 179 किला नं. 1 मु. नं. 200 किला नं. 1 कुला 5-060 है नदरी नारनी मध्य वास्ता खातेदारी लुहि अग्रिम प्रतिवादी सं. 1 सुभाषचन्द्र शर्मा, प्रतिवादी सं. 2 लालचन्द व प्रतिवादी सं. 3 राजेश सिंह उर्फ राजमल के नाम संयुक्त रूप से 182 हिस्सा राजसू रिफाई में दर्ज है उक्त वजिल वापस में से नदी के विजेन्द्र कुमार 27-3 हिस्सा का व प्रतिवादी सं. 1 सुभाषचन्द्र उता 3-1 हिस्सा का, प्रतिवादी सं. 2 लालचन्द 6 हिस्सा का व प्रतिवादी सं. 3 राजेश सिंह उर्फ राजमल को 6 हिस्सा के खातेदार नाबालक वीमिदा मिले जाते हैं यदि लुहि अग्रिम नक के रद्द हो तो रद्द मुकदमे के उपरान्त ही राजसू रिफाई में अपना हक किताब जावे राजमल को जिन्ही का नाम प. 61 जावे

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिफ्री आज दिनांक 17.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
 R.A.S.
 सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
 (शिविर प्रभारी)
 भादरा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
 प्र. गा. के संग अ.-2021
 कैम्प
 जोगिताला